न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

श्री रामदयाल माली पिता नंदा माली निवासी माता जी का खेडा तहसील बनेडा, जिला भीलवाडा।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बनेडा।

प्रकरण संख्या :— 55 / 2025 जीसीएमएस नम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.07.2025	—: निर्णय :— 1. पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन—पत्र दिनांक 05.05.2025 में वर्णित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बनेडा से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन् किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान की तलबी हेतू नोटिस जारी किये गये। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बनेडा से प्राप्त सूचना, अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 1197 दिनांक 30.06.2025 से अवगत कराया गया कि वांछित सूचना के संबंध में तहसीलदार बनेडा के पत्र क्रमांक 610 दिनांक 25.02.2025 से अपीलार्थी को वांछित सूचना अस्पष्ट होने से नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई। तहसीलदार द्वारा अपीलार्थी को कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित नकल प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा गया, जो संबंधित परिवार के सदस्य को तामील करवाया गया। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु तहसील कार्यालय में उपस्थित नहीं हुआ। 4. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 01—07—2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(जसमीत सिहं संधू)** प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा	

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)